राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.1(7)खान/ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः **14.03.2017**

–: आदेश :–

श्री सोहनलाल रैगर (अजा), सहायक खनि अभियन्ता का वर्ष 2015–16 में खनि अभियन्ता पद की रिक्तियों को पदोन्नति से भरने हेतु गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 31.03.2016 में श्री सोहनलाल रैगर, सहायक खनि अभियन्ता की खनि अभियन्ता पद पर पदोन्नति के संबंध में वांछित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण एक पद आरक्षित रखते हुए इनका प्रकरण आस्थगित (Deffered) किया गया था।

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम–23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.01.2017 में समिति द्वारा श्री रैगर के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत सेवा अभिलेखों का अवलोकन कर समिति द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर श्री सोहनलाल रैगर(अजा), सहायक खनि अभियन्ता को वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध खनि अभियन्ता (पी.बी.–3–15600–39100 ग्रेड पे 6600/–) के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है ।

श्री सोहन लाल रैगर (पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में) के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे ।

नोटः– उपरोक्त पदोन्नति लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई है के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

14/03/17
(नसीरूद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान राज्यमंत्री, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान – सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
6. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

14/03/17
वरिष्ठ शासन उप सचिव